भारत सरकार
विदेश मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 161

दिनांक 02.02.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

विदेशों में कुशल कामगार

161. श्री टी. एन. प्रथापनः

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास विदेशों में कार्यरत भारतीय कुशल/अकुशल कामगारों और पेशेवरों का ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ज्ञात है कि विदेशों में काम करने वाले कई कामगारों और कामगारों को अस्वास्थ्यकर जीवन स्थितियों में रहना पड़ता है और बहुधा वे बुनियादी जरूरतों से वंचित रहते हैं, और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
विदेश राज्य मंत्री
[श्री वी. मुरलीधरन]

(क) और (ख) मंत्रालय के पास ईसीआर श्रेणी के किसी भी देश में ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से विदेशी रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवासन जांच अपेक्षित (ईसीआर) पासपोर्ट धारक भारतीय कामगारों से संबंधित आंकड़े उपलब्ध हैं। पिछले 3 वर्षों के दौरान ऐसे कामगारों को दी गई उत्प्रवासन स्वीकृति (ईसी) के देश–वार आंकड़े अनुबंध– । में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) भारत सरकार के पास विदेशों में भारतीय कामगारों की कामकाजी स्थितियों की निगरानी और शिकायतों के निवारण के लिए सुदृढ़ तंत्र है। विदेशों में हमारे मिशन और केंद्र हर समय सतर्क रहते हैं और विदेशों में भारतीय नागरिकों से प्राप्त शिकायत (शिकायतों) की सक्रिय रूप से निगरानी करते हैं और उन पर कार्रवाई करते हैं। शिकायतें विभिन्न माध्यमों जैसे कि आपातकालीन टेलीफोन नंबर, वॉक–इन, ई–मेल, सोशल मीडिया, 24x7 बहुभाषी हेल्पलाइन और ओपन हाउस, आदि से प्राप्त होती हैं और उन पर कार्रवाई की जाती है। पीड़ित भारतीय नागरिकों को अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कराने में सक्षम बनाने के लिए सरकार ने मदद और ई–माइग्रेट जैसे पोर्टल स्थापित किए हैं। विदेश में भारतीय कामगारों को सभी मामलों पर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए दुबई (यूएई), रियाद, जेद्दा (सऊदी अरब अधिराज्य) और कुआलालंपुर (मलेशिया) में प्रवासी भारतीय सहायता केंद्र (पीबीएसके) स्थापित किए गए हैं। खाड़ी देशों में सभी भारतीय मिशनों में विशिष्ट श्रम स्कंध हैं।

भारतीय मिशन/केंद्र विदेशों में भारतीय कामगारों से फीडबैक प्राप्त करने और उनकी शिकायतें, यदि कोई हों, का समाधान करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में नियमित रूप से ओपन हाउस और कोंसली शिविर आयोजित करते हैं। किसी प्रवासी से या उसकी ओर से शिकायत प्राप्त होने पर इसे संबंधित विदेशी नियोक्ता (एफई) के

साथ सक्रिय रूप से उठाया जाता है और आवश्यकतानुसार पीड़ित कामगार के कार्यस्थल का दौरा भी किया जाता है। रोजगार के मुद्दों से संबंधित शिकायतों को उनके त्वरित निवारण के लिए स्थानीय श्रम विभाग और मेजबान देश के अन्य संबद्ध प्राधिकारी के साथ भी उठाया जाता है।

मिशन/केंद्र विदेशों में संकट में फंसे भारतीय नागरिकों को 'संबंधित परिस्थितियों के आधार' पर वित्तीय और कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए समय–समय पर भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) का उपयोग करते हैं। आईसीडब्ल्यूएफ के तहत सहायता में भोजन और आवास, भारत आने के लिए हवाई यात्रा सुविधा, कानूनी सहायता, आपातकालीन चिकित्सा देखभाल, भारत में पार्थिव अवशेषों का परिवहन और छोटे जुर्माने एवं शास्तियों का भुगतान शामिल है। आईसीडब्ल्यूएफ की शुरूआत के बाद से, सितंबर 2023 तक कुल 3,42,543 भारतीय नागरिकों को भारतीय मिशनों/केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की गई है।

*****

अनुबंध – I

पिछले 3 वर्षों के दौरान भारतीय प्रवासी कामगारों को ई–माइग्रेट पोर्टल के माध्यम से दी गई उत्प्रवासन स्वीकृतियों के देश–वार आंकड़े :

देश	2021	2022	2023
केएसए	32845	178630	200713
संयुक्त अरब अमीरात	10844	33233	71687
कुवैत	10158	71432	48212
कतर	49579	30871	30683
ओमान	19452	31994	21336
मलेशिया	36	12836	15319
बहरीन	6382	10232	7376
जॉर्डन	2386	2487	1187
इराक	935	1430	1599
लेबनान	54	282	200
थाईलैंड	1	3	4
इंडोनेशिया	0	3	0
दक्षिण सूडान	1	1	0
कुल	132673	373434	398316

*****